भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3343

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट

†3343. श्री इटेला राजेंदरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में प्रति 100,000 जीवित शिशुओं के जन्म पर मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) की दर का 93 होने का अनुमान है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के अंतर्गत प्रति 100,000 जीवित शिशुओं के जन्म पर जन्म देने वाली माताओं की मृत्यु दर गत वर्षों के दौरान कम हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों को उक्त आधार पर तीन अधिकारप्राप्त कार्रवाई समूह (ईएजी) राज्यों में वर्गीकृत किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में आज की तिथि तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्वीकृत और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) प्रदान करती है। मातृ मृत्यु दर पर एसआरएस विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार, देश में मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 88 है।

(ख): देश में एसआरएस 2014-16 से एसआरएस 2020-22 तक के वर्षों में एमएमआर में गिरावट अनुलग्नक **I** में दी गई है।

(ग): भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन के अनुसार, राज्यों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् "सशक्त कार्रवाई समूह" (ईएजी) राज्य जिसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम शामिल हैं; "दक्षिणी" राज्य जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं; और "अन्य" राज्य जिसमें गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

(घ): मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या **3343** के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक जिसका उत्तर **08.08.2025** को दिया जाना है अनुलग्नक **I**

देश में एसआरएस **2014-16** से एसआरएस **2020-22** तक एमएमआर (प्रति लाख जीवित जन्म) में गिरावट							
एसआरएस (वर्ष)	2014-16	2015-17	2016-18	2017-19	2018-20	2019-21	2020-22
एमएमआर	130	122	113	103	97	93	88

लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3343 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक जिसका उत्तर 08.08.2025 को दिया जाना है

अनुलग्नक II

वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए एनएचएम के मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (लाख रुपये में)				
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	6.24	15.41	19.83
2	आंध्र प्रदेश	9,768.92	15,794.93	10,609.20
3	अरुणाचल प्रदेश	2,338.14	475.78	1,114.00
4	असम	19,155.49	19,334.93	21,652.64
5	बिहार	52,066.07	54,606.05	45,434.13
6	चंडीगढ़	3.47	7.76	16.87
7	छत्तीसगढ़	11,208.47	9,130.78	10,509.31
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	63.00	55.45	147.06
9	दिल्ली	301.31	482.28	842.23
10	गोवा	236.29	193.94	174.00
11	गुजरात	11,391.40	21,448.50	11,306.77
12	हरियाणा	6,183.48	5,338.96	4,259.63
13	हिमाचल प्रदेश	4,122.25	2,026.36	2,075.38
14	जम्मू और कश्मीर	8,491.99	4,946.25	7,365.08
15	झारखंड	23,352.28	22,711.17	22,685.77
16	कर्नाटक	25,683.41	20,982.99	11,948.83
17	केरल	7,625.60	3,842.05	5,912.02
18	लद्दाख	331.64	212.52	379.19
19	लक्षद्वीप	31.70	27.98	28.70
20	मध्य प्रदेश	35,137.69	35,156.80	32,118.89
21	महाराष्ट्र	19,139.45	20,684.00	15,186.39
22	मणिपुर	578.97	449.33	1,015.77
23	मेघालय	2,172.33	2,317.96	3,114.44
24	मिजोरम	122.67	346.48	181.17
25	नागालैंड	499.49	810.18	1,132.21
26	ओडिशा	22,510.76	21,825.73	18,127.28
27	पुदुचेरी	308.77	126.10	204.49
28	पंजाब	7,770.19	9,290.55	6,034.84
29	राजस्थान	37,245.29	38,092.64	43,735.92
30	सिक्किम	626.47	210.29	407.95
31	तमिलनाडु	21,273.45	16,834.42	16,583.37
32	तेलंगाना	24,057.55	6,166.25	7,036.02
33	त्रिपुरा	1,573.45	1,696.22	1,804.04
34	उत्तर प्रदेश	61,869.06	74,962.19	67,356.17
35	उत्तराखंड	4,158.66	3,126.73	3,150.45
36	पश्चिम बंगाल	29,780.15	26,793.23	20,568.28

टिप्पणी:

1. उपरोक्त जानकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट (एफएमआर) के अनुसार है और अनंतिम है।
2. व्यय में केन्द्रीय रिलीज, राज्य रिलीज और वर्ष के आरंभ में अव्ययित शेष के विरुद्ध व्यय शामिल है।

******